भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2538

दिनांक 10 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का प्रदर्शन

2538. श्री विवेक के. तन्खा:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति का, उनके सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) घाटों तथा औसत आपूर्ति लागत और अर्जित औसत राजस्व के बीच के अंतर सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के अंतर्गत राज्य को कितनी निधि निर्गत की गई है तथा डिस्कॉम के परिचालन एवं वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या इन कदमों से घाटों में लक्षित कमी आई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : विद्युत एक समवर्ती विषय है और विद्युत वितरण संबंधित कार्य वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है जो अपने संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) और राज्य सरकारों के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। पीएफसी द्वारा जारी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए "विद्युत यूटिलिटी के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

भारत सरकार (जीओआई) ने पहले वर्ष 2014 में शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), अक्टूबर 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

(सौभाग्य), और वर्तमान में जुलाई 2021 में शुरू की गई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत राज्यों को गुणवत्तापूर्ण विद्युत की आपूर्ति प्रदान करने में उनके प्रयासों में सहायता की है।

आरडीएसएस के अंतर्गत, वितरण यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर वितरण यूटिलिटी को वितरण अवसंरचना कार्यों जैसे कि सबस्टेशनों और वितरण ट्रांसफार्मरों का अद्यतन/संवर्धन, कंडक्टरों का प्रतिस्थापन, नई हाई टेंशन (एचटी)/लो टेंशन (एलटी) लाइनें, फीडर विभाजन, फीडर पृथक्करण, एरियल बंच्ड केबलिंग (एबीसी)/कवर कंडक्टर, भूमिगत (यूजी) केबलिंग और स्मार्ट मीटरिंग के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

आरडीएसएस के अंतर्गत, राष्ट्रीय स्तर पर 1.53 लाख करोड़ रुपये और 1.31 लाख करोड़ रुपये के हानि न्यूनीकरण अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों को मंजूरी दी गई है। इनमें मध्य प्रदेश राज्य के लिए क्रमशः हानि न्यूनीकरण अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग के लिए 9,738 करोड़ रुपये और 8,911 करोड़ रुपये के कार्य शामिल हैं। स्वीकृत कार्यों और अब तक की प्रगति का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

केन्द्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयासों और विभिन्न सुधार उपायों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियां वित्त वर्ष 21 में 21.91% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 15.04% हो गई हैं और मध्य प्रदेश राज्य में वित्त वर्ष 21 में 41.72% से घटकर वित्त वर्ष 25 में 22.76% हो गई हैं। इसके अलावा, औसत आपूर्ति लागत (एसीएस) और औसत राजस्व प्राप्ति (एआरआर) के बीच का अंतर राष्ट्रीय स्तर पर वित्त वर्ष 21 में ₹0.69/केडब्ल्यूएच से वित्त वर्ष 25 में ₹0.06/केडब्ल्यूएच तक कम हो गया है, जबकि मध्य प्रदेश में यह वित्त वर्ष 21 में ₹1.23/केडब्ल्यूएच के अंतर से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में ₹0.04/केडब्ल्यूएच का अधिशेष हो गया है। इन सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप वितरण यूटिलिटी ने, कुल मिलाकर, राष्ट्रीय स्तर पर, विद्युत अधिनियम, 2003 के लागू होने के बाद पहली बार वित्त वर्ष 25 में 2,701 करोड़ रुपये का कर पश्चात् लाभ(पीएटी) अर्जित किया है।

रा.स.अतारां.प्र.सं. 2538

अनुबंध-I

वर्ष	राज्य/ डिस्कॉम	कुल उधार (करोड़ रु में)	संचित हानियां (करोड़ रु में)	टैरिफ सब्सिडी प्राप्त आधार पर एसीएस-एआरआर अंतर (रु./केडब्लयूएच)	एटीएंडसी हानियां (%)
वित्त वर्ष 2020-21*	एमपीएमएकेवीवीसीएल	18,865	24,690	1.23	49.76
	एमपीपीएकेवीवीसीएल	13,690	10,187	0.74	30.28
	एमपीपीओकेवीवीसीएल	18,146	22,004	1.77	45.39
	मध्य प्रदेश	**50,702**	**56,880**	**1.23**	**41.72**
वित्त वर्ष 2022-23	एमपीएमएकेवीवीसीएल	18,437	27,110	(-)0.43	22.89
	एमपीपीएकेवीवीसीएल	13,950	13,107	(-)0.18	12.60
	एमपीपीओकेवीवीसीएल	16,758	25,073	(-)0.02	27.09
	मध्य प्रदेश	**49,145**	**65,291**	**(-)0.22**	**20.45**
वित्त वर्ष 2023-24	एमपीएमएकेवीवीसीएल	18,217	29,329	0.37	29.09
	एमपीपीएकेवीवीसीएल	14,604	13,233	(-)0.24	12.33
	एमपीपीओकेवीवीसीएल	18,022	26,944	0.44	28.20
	मध्य प्रदेश	**50,844**	**69,506**	**0.18**	**22.89**
वित्त वर्ष 2024-25	एमपीएमएकेवीवीसीएल	18,176	30,900	0.22	29.60
	एमपीपीएकेवीवीसीएल	14,184	12,503	(-)0.36	12.78
	एमपीपीओकेवीवीसीएल	16,878	27,992	0.02	26.66
	मध्य प्रदेश	**49,239**	**71,394**	**(-)0.04**	**22.76**

*आरडीएसएस आरईएफ (परिणाम मूल्यांकन फ्रेमवर्क) के अनुसार, एसीएस-एआरआर अंतर और एटी एंड सी हानियों के लिए आधार वर्ष वित्त वर्ष 2020-21 है।

मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीएमएकेवीवीसीएल)
मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीपीएकेवीवीसीएल)
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमपीपीओकेवीवीसीएल)
आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस)
प्राप्त औसत राजस्व (एआरआर)

रा.स.अतारां.प्र.सं. 2538

अनुबंध-II

आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत और निष्पादित कार्य

हानि न्यूनीकरण

वित्तीय प्रगतिः

राशि करोड़ रुपये में

अनुमोदित परियोजना लागत	9142.06
अनुमोदित जीओआई अनुदान	5485.23
जारी जीओआई अनुदान	3129.64

वास्तविक प्रगति

प्रमुख शीर्ष	विवरण	यूनिट	संस्वीकृत	अवार्ड की गई	उपलब्धि
फीडर पृथक्करण	एचटी लाइनें	सीकेएम	24,651	24,651	12,270
फीडर विभाजन	एचटी लाइनें	सीकेएम	9,601	9,601	5,765
नई लाइनें	एचटी लाइनें	सीकेएम	7,671	7,671	6,591
लाइनों की अभिवृद्धि/ रिकंडक्टरिंग	एचटी लाइनें	सीकेएम	26,064	26,064	12,763
केबल कार्य	एबी केबल	केएम	39,125	39,125	27,310
	यूजी केबल	केएम	187	187	232
वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी)	नए डीटी	संख्या	43,775	43,775	23,714
	डीटी संवर्धन	संख्या	138	138	7
उपकेन्द्र	नया सबस्टेशन	संख्या	271	271	248
	सबस्टेशन संवर्धन	संख्या	112	112	111

स्मार्ट मीटरिंग

वित्तीय प्रगति

राशि करोड़ रुपये में

अनुमोदित परियोजना लागत	8877.45
अनुमोदित जीओआई अनुदान	1331.62
जारी जीओआई अनुदान	171.75

वास्तविक प्रगति:

मीटर प्रकार	संस्वीकृत (सं.)	अवार्ड की गई (सं.)	संस्थापित (सं.)
उपभोक्ता	1,29,80,102	63,57,398	40,18,239
वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी)	4,19,396	4,24,116	2,12,732
फीडर	29,708	28,828	27,546

<u>घरों (एचएच) का विद्युतीकरण</u>

वित्तीय प्रगति

अनुमोदित परियोजना लागत	452.30
अनुमोदित जीओआई अनुदान	271.37
जारी जीओआई अनुदान	141.22

वास्तविक प्रगति

राशि करोड़ रुपये में

शीर्ष	**आरडीएसएस के अंतर्गत स्वीकृत सं. (घर + सार्वजनिक स्थान) (सं.)**	**विद्युतीकृत (सं.)**
अतिरिक्त घर	196	127
पीएम जनमन	30241	26,372
डीए-जेजीयूए	59822	34,466
पीएम-एजेएवाई	6	3

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन)

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए)

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई)
